



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-51

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 262759 दिनांक 17/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Santosh Devi W/o Sube Singh	श्री हरिन्द्र सिंह पुत्र श्री आनन्दी लाल	179	305.73 SQ. YARD	Private	PINK CITY ENCLAVE Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	निजी खातेदारी की योजना पिकसिटी एनक्लेव के भूखण्ड संख्या 179 क्षेत्रफल 305.73 वर्ग गज की लीजडीड श्री हरिन्द्र सिंह पुत्र श्री आनन्दी लाल के नाम से दिनांक 07.12.09 को जारी की गयी है। तत्पश्चात श्री हरिन्द्र सिंह द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.01.2019 के द्वारा श्री सुबे सिंह पुत्र श्री चन्द्र भान जी को कर दिया गया। तत्पश्चात श्री सुबे सिंह की दिनांक 13.11.2023 को मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान द्वारा जरिये रजिस्टर्ड हक



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

त्याग पत्र दिनांक 28.04.2025 के द्वारा श्री मनोज कुमार पुत्र श्री सुबे सिंह एवं श्रीमती सरोज कुमारी पत्नी श्री ललित कुमार पुत्री श्री सुबे सिंह द्वारा अपनी माता श्रीमती संतोष देवी पत्नी स्व. श्री सुबे सिंह के पक्ष में कर दिया गया। आवेदिका श्रीमती संतोष देवी द्वारा मृत्यु प्रमाण, सजरा प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र एवं रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण एवं लीज होल्ड से फ्री होल्ड लीजडीड जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Santosh Devi W/o Sube Singh को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।